BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

भारत समुद्री बीमा पूल

भारत की समुद्री संप्रभुता का सुदृढ़ीकरण

27 सितंबर, 2026

भारत समुद्री व्यापार पर बहुत अधिक निर्भर है, अधिकांश माल और ऊर्जा आपूर्ति समुद्री मार्गों से होती है। भारत समुद्री बीमा पूल (बीएमआईपी) उन जहाजों के संबंध में जहाज के ढांचे और मशीनरी जोखिमों के लिए समुद्री बीमा प्रदान करता है जिनमें भारतीय ध्वज लगा होता है या जिनका स्वामित्व, प्रबंधन या नियंत्रण भारतीय संस्थाओं या भारत से आने वाले या शुरू होने वाले मालवाहक पोत द्वारा किया जाता है। इसे मई 2026 में 13,906.50 करोड़ रुपये (1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक के कवरेज के साथ शुरू किया गया था। यह जहाज के ढांचे, माल, संरक्षण और क्षतिपूर्ति (पी&आई) और युद्ध जोखिमों के लिए घरेलू बीमा कवरेज प्रदान करता है। बीएमआईपी विदेशी बीमाकर्ताओं पर निर्भरता कम करता है और वैश्विक व्यवधानों के दौरान किफायती, निर्बाध कवरेज सुनिश्चित करता है। बीमा पॉलिसी घरेलू बीमा कंपनियों द्वारा जारी की जाती हैं और जोखिमों का पुनर्बीमाकरण सदस्यों की प्रतिबद्धताओं के आधार पर सामूहिक रूप से किया जाता है। 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक के दावों का निपटान आरक्षित निधियों के माध्यम से किया जाता है, जबकि बड़े दावों के लिए संप्रभु गारंटी का उपयोग किया जाता है। अपनी शुरुआत के बाद से, बीएमआईपी ने तटीय जहाजों के लिए युद्ध-जोखिम और पी&आई पॉलिसी जारी की हैं, प्रीमियम कम किए हैं और भारत की समुद्री संप्रभुता को मजबूत किया है।

विहंगावलोकन

भारत दुनिया के प्रमुख व्यापारिक देशों में से एक है और इसका ज़्यादातर व्यापार समुद्री रास्तों से होता है। समुद्र भारत के लिए केवल परिवहन का एक माध्यम नहीं है बल्कि यह व्यापार की रीढ़ है।

यह ऊर्जा सुरक्षा को सहारा देता है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करता है। कच्चे तेल के आयात से लेकर वस्तुओं के निर्यात तक, समुद्री कनेक्टिविटी भारत की अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र को आधार प्रदान करती है। तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग इस जीवनरेखा को और मजबूत करते हैं, जिससे व्यापार में मज़बूती और कुशलता बनी रहती है।

भारत का समुद्री व्यापार बढ़ा है, लेकिन समुद्री बीमा की मुख्य सेवाएँ अभी भी काफी हद तक विदेशी कंपनियों पर निर्भर हैं। इसके कारण हर साल संरक्षण और क्षतिपूर्ति (पी&आई) प्रीमियम के तौर पर 45-60 मिलियन अमेरिकी डॉलर देश से बाहर जाते हैं, साथ ही विदेश में समुद्री बीमा के लिए ज़्यादा भुगतान भी करना पड़ता है।

भारत समुद्री बीमा पूल (बीएमआईपी) की कल्पना घरेलू समुद्री बीमा क्षमता में इस रणनीतिक अंतर के एक संप्रभु समाधान के रूप में की गई है। 18 अप्रैल 2026 को मंज़ूरी मिलने और 12 मई 2026 को औपचारिक रूप से शुरू होने के बाद, बीएमआईपी भारत का पहला घरेलू समुद्री बीमा पूल बन गया है, जिसकी कुल राशि 13,906.50 करोड़ रुपये (1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) है। इसमें 12,980 करोड़ रुपये (1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की सरकारी गारंटी शामिल है। पहली बार, भारतीय कंपनियाँ ज़्यादा कीमत वाले भारतीय जहाज़ों का स्वतंत्र रूप से बीमा कर रही हैं। इस बीमा कवरेज में ढाँचा और मशीनरी, ज़्यादा जोखिम वाले इलाकों में युद्ध के जोखिम से माल का बचाव और संरक्षण एवं क्षतिपूर्ति (पी&आई) शामिल हैं।

भारत का समुद्री क्षेत्र: समुद्रों का देश

भारत 12 बड़े और 217 छोटे बंदरगाहों का संचालन करता है, जो देश भर में कई तरह के माल (कार्गो) को संभालते हैं। 2025-26 के दौरान भारत के बड़े और छोटे बंदरगाहों ने 1,668 मिलियन मीट्रिक टन माल का रखरखाव किया। आर्थिक विकास और व्यापार के विस्तार के साथ यह आंकड़ा बढ़ रहा है।

- **भारत की तटरेखा** लगभग 11,098 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो प्राकृतिक बंदरगाहों और पोर्ट स्थलों के साथ दुनिया की सबसे लंबी तटरेखाओं में से एक है।
- **विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र** 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो समुद्री संसाधनों और मछली पकड़ने की गतिविधियों पर संप्रभु अधिकार प्रदान करता है।
- **देश के भीतर जलमार्गों** की लंबाई 14,500 किलोमीटर से ज़्यादा है; इनमें नदियाँ, नहरें और बैकवाटर्स शामिल हैं, जो कम लागत पर माल की ढुलाई की सुविधा देते हैं।
- **तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों** में वहाँ की आबादी और उद्योगों को समुद्री व्यापार का लाभ मिलता है।
- **समुद्र से जुड़े रोज़गार** 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों की आजीविका का साधन हैं, जिनमें मछुआरे, बंदरगाह कर्मचारी, नाविक और जहाज़ बनाने वाले शामिल हैं।

भारत को भारत समुद्री बीमा पूल की आवश्यकता क्यों है

2026 के मध्य तक भारतीय ध्वज वाले बेड़े का आकार बढ़कर 1,609 जहाज और 14.33 मिलियन जीटी (ग्रॉस टनेज) हो गया है, जो 2015 के बाद से भार क्षमता में लगभग 36% की वृद्धि को दर्शाता है। भारत के व्यापार मूल्य का 95% और व्यापार मात्रा का 70% समुद्री मार्गों के माध्यम से संचालित होता है।

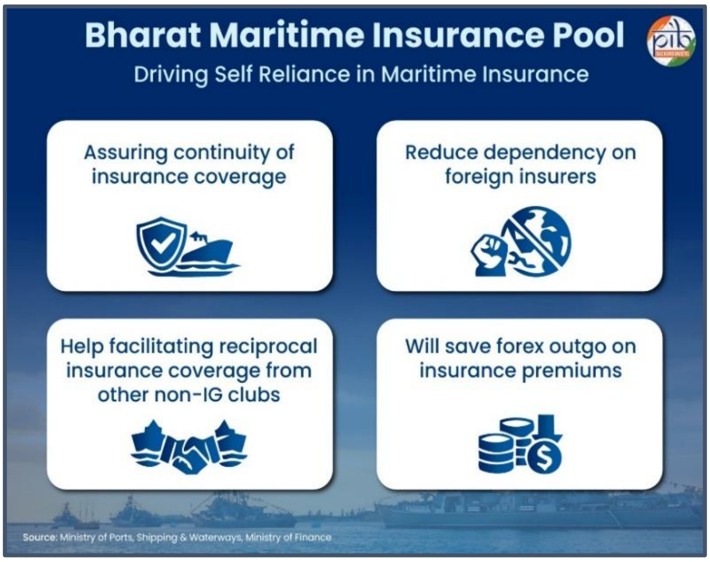

- **समुद्री बीमा: एक अदृश्य जीवन-रेखा**
  समुद्री बीमा वैश्विक व्यापार के लिए अनिवार्य है। जहाज का ढांचा और मशीनरी पॉलिसी जहाज़ों को सुरक्षा देती हैं, कार्गो बीमा माल की सुरक्षा करता है और संरक्षण एवं क्षतिपूर्ति (पी&आई) प्रदूषण या चालक दल (क्रू) की दुर्घटना जैसी देनदारियों को कवर करता है। युद्ध जोखिम बीमा समुद्री डकैती और संघर्ष से सुरक्षा देता है। ये सभी मिलकर बीमा को भारत की नौवहन अर्थव्यवस्था के लिए एक कानूनी और वाणिज्यिक आवश्यकता बनाते हैं।
- **विदेशी (पी&आई) क्लबों पर अत्यधिक निर्भरता**
  भारत बीमा मूल्य श्रृंखला के लिए विदेशी बीमाकर्ताओं पर निर्भर रहा है। भारतीय जहाज मालिक लगभग पूरी तरह से 13 अंतरराष्ट्रीय (पी&आई) क्लबों पर निर्भर हैं, जो मुख्य रूप से पश्चिमी देशों में स्थित हैं। इस निर्भरता के कारण भारत अचानक कवरेज वापस लिए जाने या राजनीतिक रूप से प्रभावित फ़ैसलों के जोखिम में रहता है, जिससे देश में ही मौजूद किसी विकल्प की अहमियत साफ़ हो जाती है।

> 'इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ़ प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी क्लब्स' तेरह मुख्य क्लबों से मिलकर बना है। ये सभी मिलकर दुनिया के लगभग 90% बड़े जहाजों का बीमा करते हैं, जिसमें माल के नुकसान, प्रदूषण, टक्कर और चालक दल के सदस्यों के दुर्घटनाग्रस्त होने जैसे जोखिम शामिल हैं।

- **भू-राजनीतिक अस्थिरता और व्यापार में रुकावट**
  लाल सागर में टकराव और होर्मुज जलडमरूमध्य के पास तनाव ने महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों को बाधित किया है। चूंकि कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा समुद्र के रास्ते आयात किया जाता है, इसलिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा निर्बाध बीमा कवरेज पर निर्भर करती है। इस दौरान, विदेशी बीमा कंपनियों ने बीमा प्रीमियम बढ़ा दिए या बीमा कवर देना बंद कर दिया। इससे जहाज मालिकों की लागत में भारी वृद्धि हुई, जिससे घरेलू सुरक्षा तंत्र (सेफ्टी नेट) की आवश्यकता बढ़ गई।
- **घरेलू विशेषज्ञता की कमी**
  इससे पहले, भारत के पास समुद्री जोखिम मूल्यांकन और दावों के प्रबंधन में संस्थागत गहराई नहीं थी। बीएमआईपी इस विशेषज्ञता को देश के भीतर ही विकसित कर रहा है, जिससे एक विश्वस्तरीय घरेलू बीमा क्षेत्र की नींव पड़ रही है और लंदन या स्विट्जरलैंड जैसे विदेशी केंद्रों पर निर्भरता कम हो रही है।

भारत समुद्री बीमा पूल (बीएमआईपी) जहाजों और माल के लिए किफायती एवं संप्रभु कवरेज सुनिश्चित करता है, इससे वैश्विक जोखिमों से निपटने की क्षमता बढ़ती है।

बीएमआईपी पूल: डिजाइन, संरचना और कवरेज

यह पूल व्यापारिक मार्गों पर जहाजों और माल को सुरक्षित रखने के लिए समुद्री बीमा कवरेज प्रदान करता है। यह बड़े समुद्री जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए बीमा कंपनियों की सामूहिक भागीदारी और व्यवस्थित शासन के माध्यम से काम करता है।

- **संप्रभु गारंटी**: 12,980 करोड़ रुपये (1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का सरकार-समर्थित सहयोग वित्तीय मजबूती सुनिश्चित करता है। यह गारंटी भारी नुकसान की स्थिति में भी देनदारियों को पूरा करती है।
- **जोखिम-अंकन क्षमता**: संप्रभु गारंटी द्वारा समर्थित यह पूल 13,906.5 करोड़ रुपये (1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के जोखिमों का बीमा कर सकता है, जिससे समुद्री क्षेत्र में होने वाले बड़े नुकसान की भरपाई करने की इसकी क्षमता बढ़ जाती है।
- **जोखिम कवरेज:** जहाज का ढांचा एवं मशीनरी, माल, संरक्षण एवं क्षतिपूर्ति (पी&आई) और युद्ध जोखिम इसमें शामिल हैं।
- **जहाजों की पात्रता**: ऐसे जहाज जो भारतीय ध्वज वाले हैं या भारतीय संस्थाओं के स्वामित्व, प्रबंधन या नियंत्रण में हैं या भारत से चलने वाले या भारत आने वाले मालवाहक जहाज हैं, वे इसके पात्र हैं।
- **अवधि:** इसकी अवधि 10 वर्ष की है, जिसे 15 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।
- **संयुक्त पॉलिसी जारी करना:** पॉलिसियां पूल के सदस्य घरेलू बीमाकर्ताओं द्वारा अपनी संयुक्त जोखिम-अंकन क्षमता का उपयोग करके जारी की जाएंगी। इन पॉलिसियों के तहत कवर किए

गए जोखिमों को फिर सभी पूल सदस्यों द्वारा उनकी प्रतिबद्ध क्षमता के अनुपात में सामूहिक रूप से बीमा का नवीनीकरण किया जाएगा।

- **दावा प्रबंधन:** 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक के दावों का निपटान संचित आरक्षित निधियों और पुनर्बीमा वसूली से किया जाता है। बड़े दावों के लिए, संप्रभु गारंटी केवल पूल के आरक्षित कोष के पूरी तरह से समाप्त होने के बाद ही लागू होती है।
- **प्रशासन:** 'जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया' पूल प्रबंधक के रूप में कार्य करता है और रोज़ाना के कामकाज को संभालता है। यह प्रदर्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और पूल के कुशल कामकाज में सहयोग करता है।
- **शासन:** एक शासी निकाय पूल के संचालन की देखरेख और विनियमन करता है, जिससे अनुपालन और सुचारू संचालन सुनिश्चित होता है।
- **जोखिम-अंकन के नियमों का सख्ती से पालन:** एक अंडरराइटिंग कमिटी जोखिम के सही और एक जैसे मूल्यांकन को सुनिश्चित करती है, जिससे लंबे समय तक वित्तीय स्थिरता बनी रहती है।

कवरेज के प्रकार और दायरा:

बीएमआईपी को समुद्री जोखिम की सभी श्रेणियों में व्यापक कवरेज देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय व्यापार में शामिल कोई भी जहाज़ या कार्गो घरेलू बीमा सुरक्षा से वंचित न रहे, चाहे उसका मार्ग या जोखिम का प्रकार कुछ भी हो।

- **जहाज का ढांचा एवं मशीनरी युद्ध कवरेज:** यह जहाजों को हल स्ट्रक्चर (जहाज का मुख्य ढांचा), प्रोपल्शन सिस्टम (जहाज को चलाने वाली मशीनरी) और लगे हुए उपकरणों को होने वाले नुकसान से बचाता है। इससे यह पक्का होता है कि भारत के व्यापारिक जहाजों के बेड़े की पूंजी सुरक्षित रहे और उसका बीमा देश के भीतर ही हो।
- **कार्गो युद्ध कवरेज:** यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्तों से ले जाए जा रहे सामान को शिपमेंट के नुकसान या खराबी से बचाता है। इससे ज़्यादा जोखिम या टकराव वाले समुद्री रास्तों पर भी भारतीय निर्यातकों और आयातकों को फ़ायदा होता है।
- **संरक्षण एवं क्षतिपूर्ति कवरेज:** यह प्रदूषण, तेल प्रदूषण की सफाई, मलबे को हटाने, चालक दल की दुर्घटना और माल की क्षति सहित विभिन्न देनदारियों का समाधान करता है। भारतीय जहाज मालिकों को अब यह कवरेज घरेलू स्तर पर मिलता है, जो पहले सिर्फ़ विदेशी क्लबों के ज़रिए ही उपलब्ध था।
- **युद्ध के जोखिम से कवरेज:** यह सशस्त्र संघर्ष, समुद्री डकैती, आतंकवाद और दुश्मन के जहाज़ द्वारा कब्ज़ा किए जाने से होने वाले नुकसान के खिलाफ़ बीमा सुरक्षा देता है। यह सुरक्षा उन भारतीय व्यापार मार्गों के लिए बहुत ज़रूरी है जो लाल सागर, होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे संवेदनशील इलाकों और अन्य उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से होकर गुज़रते हैं।

परिणाम और प्रभाव

मई, 2026 में भारत मेरीटाइम इंश्योरेंस पूल (बीएमआईपी) की शुरुआत देश के समुद्री बीमा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। बीएमआईपी ने अपनी शुरुआत के बाद से भारतीय समुद्री हितधारकों के लिए निर्बाध युद्ध-जोखिम बीमा सुनिश्चित किया है। पश्चिम एशिया में टकराव के उफान के बाद से युद्ध-जोखिम बीमा प्रीमियम में लगभग 35 से 40 प्रतिशत की गिरावट आई है। 7 सितंबर, 2026 तक इस पूल ने 3000 माल युद्ध जोखिम, 92 जलपोत ढांचा युद्ध जोखिम तथा 3 संरक्षण और क्षतिपूर्ति (पी&आई) बीमा पॉलिसी जारी की हैं।

एक मजबूत शुरुआतः बीएमआई से अब तक क्या हासिल हुआ

- **भारत की पहली पी एंड आई पॉलिसी:** 30 जुलाई, 2026 को बीएमआईपी के तहत भारत की पहली संरक्षण और क्षतिपूर्ति (पी&आई) बीमा पॉलिसी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को जारी की गई। द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी यह पॉलिसी तीसरे पक्ष की देनदारियों के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।

- 12 मई, 2026 को संघर्ष क्षेत्रों से गुजरने वाले एक जलपोत के लिए पूल की सबसे पहली पॉलिसी दी गई। न्यू इंडिया एश्योरेंस ने यह समुद्री जलपोत ढांचा और मशीनरी युद्ध जोखिम पॉलिसी मेसर्स होगर ऑफशोर एंड मरीन प्राइवेट लिमिटेड को जारी की। सीधे शब्दों में कहें तो अब एक भारतीय जहाज युद्ध के जोखिमों के खिलाफ स्वदेशी सुरक्षा के साथ समुद्र में चलता है।
- **भारत आने वाले सामान के लिए कवरः** मेसर्स वेदांता स्टरलाइट कॉपर लिमिटेड को एक समुद्री माल युद्ध पॉलिसी जारी की गई। यह कंपनी के भारत में केबल तारों के आयात के जोखिम का शमन करती है। यह दिखाता है कि बीएमआईपी भारत के बड़े औद्योगिक आयातकों की सेवा कर सकता है। यह भारतीय उद्योग को आपूर्ति करने वाली सप्लाई चेन को सुरक्षित रूप से बीमाकृत रखता है।
- **शिपिंग कंपनियों से आगेः** चीनी निर्माता कंपनी, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड को भी एक पॉलिसी जारी की गई। यह साबित करता है कि यह बीएमआईपी सिर्फ जहाजों के मालिकों के लिए नहीं है। समुद्र के रास्ते माल ले जाने वाले कृषि, फैक्टरी और अन्य उत्पादों के व्यापारी भी बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस लिहाज से यह पूल व्यापक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काम करता है।
- **प्रशासन और प्रणालियां निर्मितः** बीएमआईपी के शुभारंभ के बाद से गवर्निंग बॉडी और अंडरराइटिंग कमेटी (शासी निकाय और बीमा समिति) का गठन कर दिया गया है। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी) ने पूल प्रबंधक/प्रशासक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। जोखिम अंकन, दावों और नियामक अनुपालनों के लिए प्रणालियां भी स्थापित कर दी गई हैं। यह पूल अपनी पूरी वाणिज्यिक क्षमता के साथ काम कर रहा है।

आगे की राह

बीएमआईपी भारत की समुद्री वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसकी भूमिका हितधारकों के लिए विश्वसनीय संचालन, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और भरोसेमंद दावा निपटान सुनिश्चित करना है। मध्यम अवधि में इसकी नजर मानव पूंजी, कानूनी ढांचों और पुनर्बीमा साझीदारियों को मजबूत करने पर है। ये प्रयास सरकारी सहायता पर निर्भरता को घटाते हुए लचीलेपन को बढ़ाते हैं।

लंबी अवधि में यह पूल हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री बीमा के लिए एक क्षेत्रीय आधार के रूप में उभर रहा है। भारत वित्तीय सेवाओं के प्रदाता और समुद्री जोखिम मानदंडों के निर्माता के रूप में मान्यता प्राप्त कर रहा है। जैसे-जैसे जहाज निर्माण का विस्तार होगा और बंदरगाहों से माल ढुलाई में इजाफा होगा, यह पूल भारत की समुद्री महत्वाकांक्षाओं के साथ-साथ विकसित होगा। इसकी क्षमता और कवरेज भारत की समुद्री अवसंरचना के स्थाई स्तंभ के रूप में खड़े हैं।

संदर्भ

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय:

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2253432&reg=3&lang=1
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2260712&reg=3&lang=2
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2244786&reg=3&lang=1
https://shipmin.gov.in/sites/default/files/Maritime%20Amrit%20Kaal%20Vision%202047%20%28MAKV%202047%29_compressed.pdf
https://sansad.in/getFile/lsapps/loksabhaquestions/annex/188/AU927_Q1ssYz.pdf?source=lsapps

वित्त मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2260413&reg=3&lang=1
https://x.com/DFS_India/status/2045461170069594537

जहाजरानी महानिदेशालय:

https://dgma.gov.in/download/1781517244_6a2fcbbc219f8_bmip-note.pdf
https://dgma.gov.in/nautical-wing/insurance

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण:

https://iwai.nic.in/

कैबिनेट

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2253242&reg=3&lang=1

पीआईबी शोध

पीके/केसी/एसके